an>

Title: Regarding alleged demotion of employees belonging to SC/ST categories in Uttar Pradesh Public Services.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विÂाय की ओर आकर्Âिात करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग दो लाख कर्मचारी डिमोट हो रहे हैं, काफी हद तक हो भी गए हैं। जो इंस्पैक्टर और कांस्टेबल पुलिस में अपनी मैरिट पर भर्ती हुए थे और जो एस.सी. एस.टी. को बिलांग करते थे, उनको डिमोट कर दिया गया है। वे सड़कों पर आ गए हैं। जो चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, वे एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर हो गए हैं। सन् 1997 में पाँच आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे और उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार हुई थी। मैं इत्तेफाक से अनुसूचित जाति जनजाति संगठन का राÂट्रीय अध्यक्ष हूँ। आन्दोलन हुआ, वाजपेयी जी की सरकार ने 85वां संविधान संशोधन करके पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में उसी 85वें संविधान संशोधन के ऊपर सुनवाई की कि वैध है कि नहीं है। उसकी भी पैरवी हमने ही की थी, तब जाकर पदोन्नति में आरक्षण बचा था। पांच जजेज़ की बैंच का यह फैसला था कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन लगता है कि लखनऊ हाईकोर्ट की दो जजेज़ की बैंच का फैसला 04.01.2011 को कहता है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, जबकि मैं समझता हूं कि गलत है, क्योंकि पांच जजेज़ की बैंच से यह छोटी बैंच है और हाईकोर्ट का है।

उत्तर प्रदेश के कर्मचारी/अधिकारी इस समय बहुत प्रताड़ित हैं और वहां समाजवादी पार्टी की सरकार से बड़े दुखी हैं। हजारों-लाखों की संख्या में सात दिसम्बर को रामलीला मैदान में अपनी बात को कहने के लिए पहुंच रहे हैं। वहां उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि फौरन सरकार कदम उठाये और उनकी पदावनति नहीं की जानी चाहिए। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is allowed to associate with the issue raised by Dr. Udit Raj.